कार्यालय नगर निगम जयपुर

(पं० दीनदयाल उपाध्याय भवन लालकोठी टोंक रोड जयपुर–15)

क्रमांक :– एफ– 6()आ. राज(सा.प्र. /जननि/14/374 दिनांक :–14.3.201

मार्च 2014 में व्यावसायिक दुकानों की नीलामी सूचना

नगर निगम जयपुर द्वारा व्यावसायिक दुकानों की 99 वर्ष की लीज पर निम्नानुसार नीलामी की जा रही हैं।इच्छुक व्यक्ति निर्धारित अमानता राशि का डी0 डी0 या बैंकर्स चैक (प्रति दुकान) नगर निगम जयपुर के नाम से जमा करा कर नीलामी में भाग ले सकते हैं।(नगद राशि स्वीकार्य नहीं होंगी)

कार्यक्रम

नीलामी स्थल:– आयुक्त राजस्व कक्ष के बाहर (ऑक्शन हाउस) नगर निगम जयपुर, मुख्यालय भवन

क्र. स	योजना/स्थान	भूखण्ड	साईज वर्ग मीटर (लगभग)	नीलामी तिथि	अमानता राशि रूपये प्रतिदुकान का डी डी या बैंकर्स चैक	नीलामी बोली प्रारम्भ करने की दर (प्रति दुकान)
1.	संजय बाजार, (जौहरी बाजार एवं सांगानेरी गेट के पास) जयपुर।	निर्मित दुकान संख्याः– ए 41 से ए 44	(6.80x3.40) 23.12 वर्ग मीटर	31.03.2014 प्रातः 11.30 बजे से प्रारम्भ	2,00,000/–	50,00,000/–

नोटः–

1. दुकानें मौके पर जैसी है, के आधार पर नीलाम की जायेंगी।
2. निर्मित दुकानों मे छत का स्वामित्व नगर निगम जयपुर का रहेगा।
3. नीलामी समाप्ति पर उच्चतम बोलीदाता को कुल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत (1/4) राशि मौके पर ही नकद/डी डी/बैंकर्स चैक/चैक से जमा करवानी होगी। शेष 75 प्रतिशत (3/4) नीलाम राशि, नीलामी बोली स्वीकृत पत्र जारी होनी की तिथी से 30 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी।
4. नीलामी बोली स्वीकृत/अस्वीकृत का पूर्ण अधिकार महापौर नगर निगम जयपुर में निहित हैं
5. दो से अधिक व्यक्तियों के नाम संपत्ति लिये जाने पर पार्टनरशिप डीड दिया जाना आवश्यक होगा, फर्म या अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाने पर पावर ऑफ अटोर्नी एवं पहचान पत्र देना होगा।
   शेष शर्ते एवं अन्य जानकारी कार्यालय समय में, कार्य दिवस को आयुक्त (राजस्व)/राजस्व अधिकारी (भू–राजस्व नीलामी) से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1- निजी सहायक, माननीय महापौर महोदया, नगर निगम जयपुर।
2- जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर को भेजकर लेख है कि उपर्यूक्तानुसार नीलामी सूचना राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के दो बड़े एवं स्थानीय समाचार पत्रों के संस्करण के आगामी अंक दिनांक.............................में प्रकाशित करवा कर समाचार पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का कष्ट करे।
3- वेबसाईट पर डालने बाबत् प्रोग्रामर, ई–गर्वनेन्स, नगर निगम जयपुर।

आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर।